



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

प्रधान मंत्री आवास योजना

:: संशोधित प्रेस विज्ञप्ति ::

कार्यालय नगर पालिका निगम भोपाल द्वारा दिनांक 11/08/2016 को जारी विज्ञप्ति के अनुक्रम में, प्रधानमंत्री आवास (सबके लिये आवास) योजना के अंतर्गत आवासहीन, विवाहित, भोपाल गैस पीड़ित, जिन्हे कल्याण आयुक्त भोपाल द्वारा मुआवजा तथा प्रोरेटा का भुगतान किया गया है, द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप :-

1. गैस पीड़ित का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. गैस त्रासदी के समय का पता एवं वार्ड नं.
4. वर्तमान पता एवं वार्ड नं.
5. दूरभाष क्रमांक
6. पेमेन्ट बाउचर में अंकित वार्ड क्र. व क्लेम नं.
7. कल्याण आयुक्त द्वारा पारित अंतिम आदेश में
- अंकित प्रकरण क्रमांक
8. आधार कार्ड संख्या
9. वोटर आई.डी.क्र.
10. वार्षिक आय

नोट:-

1. उपरोक्त समस्त कालमों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।
 2. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त क्र. 05 से 09 तक के दस्तोवजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।
 3. उपरोक्त क्र. 10 पर अंकित वार्षिक आय की जानकारी हेतु आय का शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वघोषणा पत्र अनिवार्यतः संलग्न करना होगा।
 4. आवेदन पत्र विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक शासकीय कार्य दिवसों पर प्रातः 11 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक संचालनालय, गैस राहत एवं पुर्नवास विभाग शिवाजी नगर 01 में जमा किये जा सकेंगे।
- मै,.....घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्र. 01 से 10 तक की मेरे द्वारा दी गई जानकारी व संलग्न दस्तावेज मेरे पूर्ण ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्णतः सत्य है तथा मैंने पूर्व में किसी भी शासकीय आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है। यदि उक्त मे से कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायी मेरा होगा। विकल्प परिवर्तन के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम एवं मुझे मान्य होगा।

स्थान :-

दिनांक :- / /

यहां गैस पीड़ित
अपना स्वयं का
स्वप्रमाणित पासपोर्ट
साइज फोटो चस्पा करें

"महापौर एक्सप्रेस 0755-2701555" पर फोन लगाएं,
घर बैठे प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेन्टर तत्काल बुलाएं

.....
भोपाल गैस पीड़ित के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान